GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, dated: 8/5/1978

No.E(NG)I78-PM1/124.

The General Managers,
All Indian Railways,
including CLW, DLW & ICF,
and MTP(R), Calcutta.

Heads of all attached and
subordinate offices of
Railway Ministry.

Sub: Reorganisation of the posts in the Hindi Department on the Railways.

-oo0Ooo-

Ministry of Railways have had under consideration the question of amalgamating the posts in Hindi Organisation having various designations to have a common unit of seniority and after careful consideration, in supersession of all earlier orders, they have decided that all the cadres of Hindi Supervisors, Instructions, Inspectors and Hindi Superintendents, Translators on the Railways should be merged to form a new cadre as indicated below:-

(i) The posts of Hindi Superintendents and Supervisors in scale Rs. 700-900 should be amalgamated to form a single cadre of Hindi Superintendents. The existing incumbents of the posts in two sides may be accommodated in new posts and further intake will be only from among the Hindi staff in the lower grades as indicated below. The seniority of the existing incumbents who are occupying the posts on regular basis should be combined on the basis of total non-fortuitous service in the scale.

(ii) Head Hindi Translators' posts in scale Rs. 550-800 and Senior Hindi Inspectors in scale Rs. 550-750, if any, should be combined and designated as Hindi Assistant grade-I. The existing incumbent of the post of Senior Hindi Inspector should be placed below all the Head Hindi Translators in scale Rs. 550-800 working on regular basis.

(iii) The posts of Senior Translators, Junior Hindi Inspectors and Hindi Instructors in scale Rs. 425-640 should be amalgamated to form a new cadre of Hindi Assistant, Grade-II, The seniority being reckoned from the date of occupying the posts on non-fortuitous basis.

.......2/-

भारत सरकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नयी दिल्ली, दिनांक 8-5-78.

सं0 ई (एच-जी)I/78/पी एम 1/124

महाप्रबन्धक,
सभी भारतीय रेलें ।
चि. रे. इं. का., डी.रे.इं.का.,
स. डि.का. तथा
महानगर परि. परि.(रेल)-कलकत्ता ।

रेल मंत्रालय के सभी सम्बद्ध एवं
अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुख ।

विषय:- रेलों पर हिन्दी विभाग के पदों का पुनर्गठन ।

हिन्दी संगठनों में कई तरह के पदनामों वाले वर्तमान पदों को मिला देने और उनकी वरिष्ठता की एक सामान्य यूनिट कर देने का प्रश्न रेल मंत्रालय के विचाराधीन रहा है । इस पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद, पिछले सभी आदेशों का अतिक्रमण करते हुए मंत्रालय ने यह विनिश्चय किया है कि रेलों पर हिन्दी पर्यवेक्षकों/ इन्स्ट्रक्टरों/ इंस्पेक्टरों और हिन्दी अधीक्षकों/ अनुवादकों के सभी संवर्गों को मिलाकर उन्हें नीचे लिखे नये संवर्ग के रूप में गठित किया जाये ।

(i) 700-900 रुपये के वेतनमान के हिन्दी अधीक्षकों एवं हिन्दी पर्यवेक्षकों के पदों को मिलाकर हिन्दी अधीक्षक के रूप में एक संवर्ग बना दिया जाये । दोनों संवर्गों में वर्तमान पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को नये पदों में समाहित कर दिया जाये और भविष्य में ये पद नीचे दिये गये रूप में केवल हिन्दी विभाग के कर्मचारियों से ही भरे जायें । इन पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता वर्तमान वेतनमानों में उनकी कुल अनाकस्मिक सेवा के आधार पर मिला दी जाये ।

(ii) 550-800 रुपये के वेतनमान में कार्यरत प्रधान हिन्दी अनुवादकों तथा 550-750 रुपये के वेतनमान में कार्यरत वरिष्ठ हिन्दी इंस्पेक्टरों के पद, यदि कोई हों, तो उन्हें मिलाकर एक कर दिया जाये और उनका पदनाम हिन्दी सहायक ग्रेड-I रखा जाये । वरिष्ठ हिन्दी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त कर्मचारी को उन सभी प्रधान हिन्दी अनुवादकों के नीचे रखा जाये जो इस समय 550-800 रुपये के वेतनमान में नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं ।

- 2/-

(iv) The posts of Junior Hindi Translators and Hindi Instructors in scale Rs. 330-560 should be amalgamated to form a cadre of Hindi Assistants Grade-III, seniority being reckoned on the basis of non-fortuitous service in the grade.

2. The new classification of the posts will be as under:-

Existing designation.	Present scale.	Proposed designation.	Scale	Classification.
1. Jr. Translator 2. Hindi Instructor	330-560	Hindi Asstt. Gr.III	330-560	Selection. (Field of eligibility as for Junior Translator now being re-designated as Hindi Asstt. Gr.III).
1. Sr. Translator 2. Jr. Hindi Insp. 3. Hindi Instructor	425-640	Hindi Asstt. Gr.II	425-640	Non-Selection. (From Hindi Asstt. Gr.III - seniority cum suitability).
1. Head Translator 2. Sr. Hindi Insp.	550-800 550-750	Hindi Asstt. Gr.I	550-800	Selection. (From Hindi Asstt. Gr.II & if necessary from Gr.III).
1. Hindi Supdt. 2. Hindi Supvr.	700-900	Hindi Supdt.	700-900	Non-selection. (From Hindi Asstt. Gr.I - seniority cum suitability).

3. The staff can be assigned the duties either of translation or training according to the need of a particular office.

The orders will take effect immediately.

(Dwarka Dass)
Deputy Director, Establishment,
Railway Board.

Copy to Director(OL), Railway Board.

(iii) 425-640 रुपये के वेतनमान के वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों, कनिष्ठ हिन्दी इंस्पेक्टरों तथा हिन्दी इंस्ट्रक्टरों के पदों को मिलाकर एक नया संवर्ग बना दिया जाय और उसका नाम हिन्दी सहायक ग्रेड-II रखा जाये। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण उनके वर्तमान पदों पर अनाकस्मिक आधार पर नियुक्ति की तारीख के अनुसार किया जाये

(iv) 330-560 रुपये के वेतनमानों के कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों और हिन्दी इंस्ट्रक्टर के पदों को मिलाकर एक नया संवर्ग बना दिया जाये और उसका नाम हिन्दी सहायक ग्रेड -III रखा जाये। इनकी वरीयता का निर्धारण उनके वर्तमान ग्रेड में अनाकस्मिक सेवा की अवधि के अनुसार किया जाये।

2. इन पदों का नया वर्गीकरण इस प्रकार होगा :-

वर्तमान पदनाम	वर्तमान वेतनमान	प्रस्तावित पदनाम	वेतनमान	वर्गीकरण
1. कनिष्ठ अनुवादक 2. हिन्दी इंस्ट्रक्टर	330-560	हिन्दी सहायक ग्रेड-III	330-560	सलेक्शन पद। (इनका चयनक्षेत्र वर्तमान कनिष्ठ अनुवादक की तरह होगा, जिसका पदनाम अब बदलकर हिन्दी सहायक ग्रेड-III किया जा रहा है)
1. वरिष्ठ अनुवादक 2. कनि. हिन्दी इन्स्पे. 3. हिन्दी इन्स्ट्रक्टर	425-640	हिन्दी सहायक ग्रेड- II	425-640	नान-सलेक्शन पद। (वरीयता एवं उपयुक्तता के आधार पर, हिन्दी सहायक ग्रेड-III में से)
1. प्रधान अनुवादक 2. वरि. हिन्दी इन्सपे.	550-800 550-750	हिन्दी सहायक ग्रेड - I	550-800	सलेक्शन पद। (हिन्दी सहायक ग्रेड-II से और यदि आवश्यक हुआ तो हिन्दी सहायक ग्रेड-III से)
1. हिन्दी अधीक्षक 2. हिन्दी पर्यवेक्षक	700-900	हिन्दी अधीक्षक	700-900	नान-सलेक्शन। (हिन्दी सहायक ग्रेड-I से वरीयता एवं उपयुक्तता के आधार पर)

3. कर्मचारियों को सम्बन्धित कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार हिन्दी अनुवाद अथवा हिन्दी प्रशिक्षण संबंधी किसी भी कार्य पर नियुक्त किया जा सकता है।

ये आदेश तत्काल लागू होंगे।

(द्वारका दास)
उपनिदेशक, स्थापना,
रेल मंत्रालय।

प्रतिलिपि:-